NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com
Phone : 9411168623

पत्रांक सं० – NPST/116/2026 दिनांक – 24.08.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान जिलाधिकारी,**
   जनपद–हरिद्वार, कलेक्ट्रेट, रोशनाबाद हरिद्वार
   ईमेल – dm-har-ua@nic.in
2. **श्रीमान नगर आयुक्त,**
   नगर निगम हरिद्वार
   ईमेल – jnnurm.hwr@gmail.com ; nagarnigamharidwar@gmail.com

विषय : हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र में रेहड़ी–पटरी/ठेली व्यवसायियों के निष्कासन एवं स्थानांतरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाये जाने, विधिसम्मत सर्वेक्षण एवं वेंडिंग प्रमाण–पत्र जारी किये जाने तथा प्रभावित पथ विक्रेताओं की आजीविका के संरक्षण हेतु स्थायी वेंडिंग जोन विकसित कर स्थान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट एक लोकहित के उद्देश्य से कार्यरत संस्थान है, जिसका प्रमुख उद्देश्य संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक पारदर्शिता, विधि के शासन तथा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

संस्थान के संज्ञान में आया है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास वर्षों से रेहड़ी–पटरी एवं ठेली के माध्यम से भोजन, फल, सब्जी एवं अन्य छोटे व्यवसाय कर अपनी एवं अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले अनेक व्यक्तियों को नगर निगम हरिद्वार द्वारा उक्त स्थान से हटा दिया गया है, जबकि उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक एवं स्थायी स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर कई प्रभावित रेहड़ी–पटरी एवं ठेली व्यवसायियों से वार्ता की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि वे वर्षों से उक्त स्थानों पर छोटा व्यवसाय कर अपने परिवार का

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST 24/08/26

भरण–पोषण करते आ रहे थे और अचानक हटाये जाने के कारण उनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

यह विषय मात्र अतिक्रमण हटाने अथवा यातायात व्यवस्था का नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ह) एवं 21 से जुड़े समानता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता तथा सम्मानपूर्वक आजीविका के अधिकार का भी प्रश्न है। संसद द्वारा अधिनियमित **The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act 2014** का उद्देश्य ही शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकार एवं आजीविका की रक्षा करते हुए स्ट्रीट वेंडिंग का विधिसम्मत विनियमन करना है। अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करना है तथा धारा 3(2) के अनुसार सर्वेक्षण में चिन्हित विद्यमान पथ विक्रेताओं को निर्धारित मानकों, स्ट्रीट वेंडिंग प्लान एवं वेंडिंग जोन की क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाना है।

विशेष रूप से धारा 3(3) में स्पष्ट वैधानिक निषेध है कि – No street vendor shall be evicted or, as the case may be, relocated till the survey specified under sub-section (1) has been completed and the certificate of vending is issued to all street vendors. अर्थात् सर्वेक्षण पूर्ण होने तथा सभी पथ विक्रेताओं को वेंडिंग प्रमाण–पत्र जारी किये जाने तक किसी पथ विक्रेता का निष्कासन अथवा स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। अतः यदि नगर निगम क्षेत्र में उक्त वैधानिक प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो उसके पूर्ण होने से पूर्व पथ विक्रेताओं के विरुद्ध निष्कासन/स्थानांतरण की कार्रवाई धारा 3(3) में प्रदत्त संरक्षण के विपरीत होगी।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 के अनुसार धारा 18 के अंतर्गत स्थानांतरित किये जाने वाले वेंडिंग प्रमाण–पत्र धारक पथ विक्रेता को व्यवसाय जारी रखने के लिए नया स्थल अथवा क्षेत्र प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 18 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नो–वेंडिंग जोन घोषित कर पथ विक्रेताओं को स्थानांतरित करने की कार्रवाई टाउन वेंडिंग कमेटी की संस्तुति एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी है तथा प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट स्थान से निष्कासन/स्थानांतरण से पूर्व 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। धारा 21 स्थानीय निकाय को टाउन वेंडिंग कमेटी एवं प्लानिंग अथॉरिटी के परामर्श तथा टाउन वेंडिंग कमेटी की संस्तुति पर प्रत्येक पांच वर्ष में पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार करने का दायित्व भी प्रदान करती है।

अधिनियम की प्रथम अनुसूची में भी यह सुनिश्चित किया गया है कि स्ट्रीट वेंडिंग प्लान में विद्यमान पथ विक्रेताओं के समायोजन के साथ आम नागरिकों के निर्बाध आवागमन का संतुलन स्थापित किया जाए। महत्वपूर्ण रूप से केवल किसी स्थान पर भीड़भाड़ होना उसे नो–वेंडिंग जोन घोषित करने का आधार नहीं है तथा जब तक सर्वेक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता, किसी क्षेत्र को नो–वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया जाना चाहिए। द्वितीय अनुसूची में पुनर्वास के सिद्धांत और भी स्पष्ट हैं – स्थानांतरण को जहां

NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
2/9/26

तक संभव हो टाला जाए, प्रभावित पथ विक्रेताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों को पुनर्वास की योजना एवं क्रियान्वयन में सम्मिलित किया जाए तथा स्थानांतरण की स्थिति में उनकी आजीविका एवं जीवन स्तर को बेहतर किया जाए अथवा कम–से–कम निष्कासन से पूर्व की वास्तविक स्थिति तक पुनर्स्थापित किया जाए।

स्थायी वेंडिंग व्यवस्था के अभाव में केवल निष्कासन समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जिन व्यक्तियों की आजीविका पूर्णतः रेहड़ी–पटरी अथवा ठेली पर निर्भर है, उनके लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध न होने पर वे जीविकोपार्जन की विवशता में पुनः सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर व्यवसाय करने को बाध्य होंगे, जिससे यातायात, पैदल आवागमन, स्वच्छता एवं सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या पुनः उत्पन्न होगी। अतः पथ विक्रेताओं की आजीविका तथा सुचारु शहरी एवं यातायात व्यवस्थाकृदोनों के हित में पर्याप्त संख्या में नियोजित, व्यवस्थित एवं स्थायी वेंडिंग जोन विकसित करना ही व्यावहारिक एवं विधिसम्मत समाधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के निकट सहित सम्पूर्ण नगर निगम हरिद्वार क्षेत्र में रेहड़ी–पटरी/ठेली व्यवसायियों को हटाने, बेदखल करने अथवा स्थानांतरित करने की वर्तमान एवं प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 की धारा 3(3) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सर्वेक्षण पूर्ण होने एवं सभी पात्र पथ विक्रेताओं को वेंडिंग प्रमाण–पत्र जारी किये जाने तक किसी पथ विक्रेता का निष्कासन अथवा स्थानांतरण न किया जाए। साथ ही, पहले से हटाए गए प्रभावित पथ विक्रेताओं का तत्काल सर्वेक्षण एवं चिन्हांकन कर उनकी आजीविका बहाल करने हेतु उपयुक्त अंतरिम व्यवस्था की जाए तथा टाउन वेंडिंग कमेटी के माध्यम से रेलवे स्टेशन के निकट एवं नगर के अन्य उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सुव्यवस्थित एवं स्थायी वेंडिंग जोन चिन्हित/विकसित कर प्रभावित एवं पात्र पथ विक्रेताओं को स्थान आवंटित किया जाए, जिससे उनकी आजीविका स्थायी रूप से संरक्षित रहते हुए यातायात, स्वच्छता एवं सार्वजनिक आवागमन भी सुव्यवस्थित रह सके। इस संबंध में की गई कार्रवाई से संस्थान को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।